I/3 3148/2022

संख्या– /XVIII(II)/2022

प्रेषक,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 05 मई, 2022

विषयः–126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु जनपद चमोली के तहसील जिलासू अन्तर्गत ग्राम लंगाली में रेलवे स्टेशन के निर्माण हेतु 0.729 है0 उत्तराखण्ड सरकार की भूमि भारतीय रेल, भारत सरकार के नाम आवंटन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1633/छब्बीस–08(2021–2022), दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 तथा पत्र संख्या–3574/छब्बीस–08(2021–2022), दिनांक 30 मार्च, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के तहसील जिलासू अन्तर्गत ग्राम लंगाली में रेलवे स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम लंगाली की खाता खतौनी संख्या–06 के खसरा संख्या–70 रकबा 0.109 है0 भूमि मध्ये 0.079 है0, खसरा संख्या 105 रकबा–0.008 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(2) स्थल सड़क के रूप में दर्ज अभिलेख है, खाता खतौनी संख्या–5 के खसरा संख्या 131 रकबा 1.113 है0 भूमि मध्ये 0.607 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी 10(1) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं खाता खतौनी संख्या–3 के खसरा संख्या–106/132 रकबा 0.035 है0 भूमि, जो नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में रूप में दर्ज अभिलेख है, अर्थात कुल 0.729 है0 उत्तराखण्ड सरकार की भूमि भारतीय रेल, भारत सरकार के नाम आवंटन करने के सम्बन्ध में आख्या/प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के तहसील जिलासू अन्तर्गत ग्राम लंगाली में रेलवे स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम लंगाली की खाता खतौनी संख्या–06 के खसरा संख्या–70 रकबा 0.109 है0 भूमि मध्ये 0.079 है0, खसरा संख्या 105 रकबा–0.008 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(2) स्थल सड़क के रूप में दर्ज अभिलेख है, खाता खतौनी संख्या–5 के खसरा संख्या 131 रकबा 1.113 है0 भूमि मध्ये 0.607 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी 10(1) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं खाता

....2

खतौनी संख्या–3 के खसरा संख्या–106/132 रकबा 0.035 है0 भूमि, जो नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में रूप में दर्ज अभिलेख है, अर्थात कुल 0.729 है0 उत्तराखण्ड सरकार की भूमि शासनादेश संख्या–496/XVII(II)/2020–08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि का नजराना एवं मालगुजारी की कुल धनराशि रू0 31,73,205.00 (एक्तीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ पांच रूपये मात्र) एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय भारतीय रेल, भारत सरकार के नाम निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सर्वाधिकार सहित सःशुल्क आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

2– प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत दी गयी है।

6– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

8– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

9– भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

.....3

10— विभाग द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध करायां जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या—01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

3— कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by Anand Srivastava
Date: 05-05-2022 15:58:45
(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या— 618 /XVIII(II)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3— मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, कार्यालय भवन, अपोजिट जी0एस0टी0, भवन, निकट गढ़वाल मण्डल विकास निगम, श्यामपुर बाईपास रोड़, ऋषिकेश।
4— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5— गार्ड फाईल।